

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौड़गढ़ (राज०)
पीठरीन अधिकारी मनरवी नरेश आर.ए.एस

आ संख्या :- 101/2018

1. भेरुलाल पिता हरलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
2. श्रीमती केशरबाई पत्नी रव० हरलाल जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
वादीगण

बनाम

1. श्री शंभूलाल पिता रुपा जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
2. श्री लीलाशंकर पिता पृथ्वीराज जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
3. श्री कैलाश पिता पृथ्वीराज जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
4. श्री धीरीबाई पिता पृथ्वीराज जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
5. श्री लागचंद पिता देवा जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
6. श्री शोभाबाई पत्नी भेरुलाल जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
7. भूमिधारी जी तहरीलदार साहब तहरील कार्यालय बेगू

प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री कैलाशचन्द्र मंत्री

अधिवक्ता वादीगण

श्री अनिल शर्मा

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 20.02.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम चंदाखेडी पटवार हल्का शादी के सम्वत 2071 से 74 के खाता संख्या 219 खातेदार शंभूलाल पिता रुपा लीलाशंकर कैलाश पिता पृथ्वीराज गु० धीरीबाई पत्नी पृथ्वीराज भेरुलाल पिता हरलाल केशरबाई पत्नी हरलाल धाकड सा० देह में निम्न लिखित आराजी अंकित स्थित है:-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
04	1.5780
08	1.0920
10	0.0730
12	0.4370
321	0.0490
626	0.1050

कीता-6 रकबा 3.3340 हैक्टर

यह कि ग्राम चंदाखेडी पटवार हल्का शादी के सम्वत 2071 से 74 के खाता संख्या 220 में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
159	0.2750
161	0.0890
162	0.2590
163	0.1780
171	0.2190
172	0.1620
177	0.3320
179	0.0320
180	0.1380
294	0.2110
316	0.1290
777	0.0810
778	0.9220


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चितौड़गढ़)

19/784

0.2910

0.3240

0.4210

0.0810

कीता-17 रकबा

1.1440 हैक्टर

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 एवं 2 में वर्णित आराजीयात रूपा, पृथ्वीराज एवं हरलाल तीनों सगे भाईयो की होने से एवं वादीगण हरलाल के वारिसान होने से वादीगण का हिस्सा 1/3 निहित है एवं हिस्सा 1/3 अनुसार ही मौके पर वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में से आराजी संख्या 159, 161, 162, 163, 172, 177, 179, 180 व 294 किता-9 कुल रकबा 1.6760 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 3 कैलाश के हिस्सा में से हिस्सा 7/44 प्रतिवादी संख्या 6 शोभाबाई द्वारा खरीदसुदा है एवं इसी खाते की आराजी में से आराजी संख्या 159, 161, 162, 163, 171, 172, 177, 179, 180 किता-9 कुल रकबा 1.6840 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 4 घीसीबाई का हिस्सा 1/9 सम्पूर्ण प्रतिवादी सं० 6 का खरीद सुदा है एवं राजस्व रेकार्ड में उक्त खरीद हिस्सा प्रतिवादी सं० 6 के नाम दर्ज रेकार्ड हो चुका है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादीगण ने दिनांक 12.07.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को तहसील कार्यालय में चलकर बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होंने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात में अपना निहित हक हिस्सा 1/3 को जरिये बंटवाडा पूर्ण करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने के पूर्ण अधिकारी है, एवं इसी हे मिट्स एण्ड बाउंड्स में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु वादीगण का यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत है।

वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्राथना करती है :-

(अ) कि पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादी वाद पत्र की कलम संख्या 1 एवं 2 में वर्णित मौजा चंदाखेडी पटवार हल्का शादी तहसील बेगू की आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/3 जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावे।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए ईकवालिया जवाब इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि कब्जे अनुसार कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार ईकवालिया जवाब दावा होने से प्रकरण में तनकी पत्र कायम नहीं किया गया तथा पत्रावली में वादीगण की ओर से साक्ष्य सबूत लिये जाकर तथा न्यायालय में दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.09.2019 को किया गया :-

“अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारार 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वा प्राथमिक डिक्रीह किया जाता है। तहसीलदार बेगू को 1000/- शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम चंदाखेडी पटवार हल्का शादी के सम्यत 2071 से 74 के खाता संख्या 219 में अंकित आराजी संख्या :-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
04	1.5780
08	1.0920
10	0.0730
12	0.4370
321	0.0490
626	0.1050

कीता-6 रकबा

3.3340 हैक्टर

सहायक हैक्टर
(उपस्थान अधिकारी)
बेगू (मितीदाद)

संख्या 220 में निम्नलिखित आराजी संख्या :-

संख्या	रकबा हैक्टर में
159	0.2750
161	0.0890
162	0.2590
163	0.1780
171	0.2190
172	0.1620
177	0.3320
179	0.0320
180	0.1380
294	0.2110
316	0.1290
777	0.0810
778	0.9220
785	0.2910
800	0.3240
959	0.4210
979/784	0.0810

कीता-17 रकबा 1.1440 हैक्टर


भूमि में वादीगणका 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी अनुसार रखते हुए अलग कर विभाजन प्रस्ताव नय नक्शाट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय की आगामी तारीख पेश दिनांक 22.10.2019 को प्रस्तुत करें।"

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगू को विभाजन प्रस्तावत मिजवाने हेतु प्राथमिक डिक्री की प्रति निजवाई गई जिसकी पालना में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्र क्रमांक / राजस्व (कोर्ट)/2024/890 दिनांक 31.12.2024 के साथ संलग्न फर्द बंटवारा प्रस्ताव नय नक्शाट्रेस दोप्रति व जमाबंदीयात आराजी के साथ न्यायालय में प्रेषित किये जिस पर अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुना गया जिन्होंने प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना बताते हुए वादीगण का दादपत्र अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया है, जिससे वादीगण का दादपत्र मुताबिक फर्दबंटवारा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाने एवं अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा चंदाखेडी पटवार हल्का शादी की कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का निम्नानुसार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रिकॉर्ड में प्रथक प्रथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

1- मैरुलाल पिता हरलाल केशरबाई पत्नि हरलाल धाकड निवासी चंदाखेडी के खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
4 मं से	0.0500
4 मं से	0.2790
8 मं से	0.2000
8 मं से	0.3310
10 मं से	0.0360
12 मं से	0.0500
12 मं से	0.0840
626 मं से	0.0525
159 मं से	0.0717
177 मं से	0.1107
162 मं से	0.0440


सहायक अधिवक्ता
(उपसंलग्न अधिकारी)
बेगू (विवादीगण)

से	0.1780
	0.0320
मे से	0.0246
मे से	0.1055
77 मे से	0.0405
778 मे से	0.2880
800 मे से	0.1620
959 मे से	0.1403
979/784 मे से	0.0270
171 मे से	0.0330
171 मे से	0.0200
785 मे से	0.0600

कीता- 23 रकबा 2.4198 हैक्टर


2- शंभुलाल पिता रूपा धाकड साकिन चंदाखेडी के खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
4 मे से	0.0500
4 मे से	0.2790
8 मे से	0.2000
8 मे से	0.3310
10 मे से	0.0270
12 मे से	0.0500
12 मे से	0.0930
321	0.0490
626 मे से	0.0525
159 मे से	0.0600
159 मे से	0.0717
177 मे से	0.1107
162 मे से	0.0440
172	0.1620
180 मे से	0.0567
316	0.1290
777 मे से	0.0405
778 मे से	0.2870
800 मे से	0.1620
959 मे से	0.1403
979/784 मे से	0.0270
171 मे से	0.0330
171 मे से	0.0200

कीता- 23 रकबा 2.4754 हैक्टर

3- लीलाशंकर कैलाश पिता पृथ्वीराज घीसीबाई पत्नी पृथ्वीराज धाकड साकिन चंदाखेडी के खाते:-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
4 मे से	0.8600
10 मे से	0.0100
12 मे से	0.0500
12 मे से	0.1100
180 मे से	0.0567
778 मे से	0.2870


 सहायक अधिकारी
 (रजिस्ट्रार अफिसरी)
 मेरु (जिलादफ्तर)

1	0.02310
2	0.02400
3	0.02270
4	0.02280

कीता- 10 रकबा 0.02291 हेक्टर

4- लामचन्द्र पिता देवा बाबू सावित्री देह के खाती में -

आराजी नम्बर	रकबा हेक्टर
151 न सं	0.02590
152 न सं	0.02710

कीता- 2 रकबा 0.02600 हेक्टर

5- शोभाबाई मुताक के बजाय रवि पुण्य पिता मीलाल बाबू सावित्री के खाती :-

आराजी नम्बर	रकबा हेक्टर
159 न सं	0.02715
177 न सं	0.02105
294 न सं	0.02155

कीता- 3 रकबा 0.02577 हेक्टर

6- श्री मीलाल पिता इलाल केशवबाई पत्नी इलाल 1/3 शोभाल पिता कृपा 1/3 लीलबाई केलाश पिता पुष्पोराज घोसोबाई पत्नी पुष्पोराज 1/3 बाबू सावित्री

आराजी नम्बर	रकबा हेक्टर	सन्ता हेतु
171 न सं	0.05	सन्ता हेतु
4 न सं	0.005	सन्ता हेतु
8 न सं	0.03	सन्ता हेतु
778 न सं	0.05	सन्ता हेतु

कीता- 4रकबा 0.21 हेक्टर

उपरोक्तानुसार बाँटनाम एवं प्रतिसादीनाम के खाते में आई कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रथक प्रथक दर्ज कर खाता अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को लिखाया जाकर उसे ईजलास हुनाया गया।

सहायक मजिस्ट्रेट
राजस्व अधिकारी, मुंबई

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

राजस्थान - 101/2018

1. भैरूलाल पिता हरलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
2. श्रीमती केशरबाई पत्नी स्व० हरलाल जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
वादीगण

बनाम

1. श्री शंभूलाल पिता रूपा जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
2. श्री लीलाशंकर पिता पृथ्वीराज जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
3. श्री कैलाश पिता पृथ्वीराज जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
4. श्री घीसीबाई पिता पृथ्वीराज जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
5. श्री लामचंद पिता देवा जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
6. श्री शोभाबाई पत्नी भैरूलाल जी धाकड निवासी चंदाखेडी तह० बेगू
7. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगू

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ०धा० 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्रीकी अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.02.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज० काश्त० अधि० का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा चंदाखेडी पटवार हल्का शादी की कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का निम्नानुसार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1- भैरूलाल पिता हरलाल केशरबाई पत्नि हरलाल धाकड निवासी चंदाखेडी के खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
4 मे से	0.0500
4 मे से	0.2790
8 मे से	0.2000
8 मे से	0.3310
10 मे से	0.0360
12 मे से	0.0500
12 मे से	0.0840
626 मे से	0.0525
159 मे से	0.0717
177 मे से	0.1107
162 मे से	0.0440
163 मे से	0.1780
179	0.0320
180 मे से	0.0246

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौडगढ़)

मे से	0.1055
मे से	0.0405
मे से	0.2880
78 मे से	0.1620
800 मे से	0.1403
959 मे से	0.0270
979/784 मे से	0.0330
171 मे से	0.0200
171 मे से	0.0600
785 मे से	

कीता- 23 रकबा 2.4198 हैक्टर

2- शंभुलाल पिता रूपा धाकड साकिन चंदाखेडी के खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
4 मे से	0.0500
4 मे से	0.2790
8 मे से	0.2000
8 मे से	0.3310
10 मे से	0.0270
12 मे से	0.0500
12 मे से	0.0930
321	0.0490
626 मे से	0.0525
159 मे से	0.0600
159 मे से	0.0717
177 मे से	0.1107
162 मे से	0.0440
172	0.1620
180 मे से	0.0567
316	0.1290
777 मे से	0.0405
778 मे से	0.2870
800 मे से	0.1620
959 मे से	0.1403
979/784 मे से	0.0270
171 मे से	0.0330
171 मे से	0.0200

कीता- 23 रकबा 2.4754 हैक्टर

3- लीलाशंकर कैलाश पिता पृथ्वीराज घीसीबाई पत्नी पृथ्वीराज धाकड साकिन चंदाखेडी के खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
4 मे से	0.8600
10 मे से	0.0100
12 मे से	0.0500
12 मे से	0.1100
180 मे से	0.0567
778 मे से	0.2870
785 मे से	0.2310

सहायक सचिव
(उपकरण अधिकारी)
बेम्बू (विशालपुर)

10 मे से	0.1404
11 मे से	0.0270
12 मे से	0.0530

कीता- 10 रकबा 1.8251 हैक्टर

4- लाभचन्द्र पिता देवा धाकड साकिन देह के खाते में :-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
161 मे से	0.0890
162 मे से	0.1710

कीता- 2 रकबा 0.2600 हैक्टर

5- शोभाबाई मृतक के बजाय रवि पूरण पिता भैरूलाल धाकड सा0देह के खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
159 मे से	0.0716
177 मे से	0.1106
294 मे से	0.1055

कीता- 3 रकबा 0.2877 हैक्टर


6- श्री भैरूलाल पिता हरलाल केशरबाई पत्नी हरलाल 1/3 शंभुलाल पिता रूपा 1/3 लीलाशंकर कैलाश पिता पृथ्वीराज घीसीबाई पत्नी पृथ्वीराज 1/3 धाकड सा0देह

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	
171 मे से	0.06	रास्ता हेतु
4 मे से	0.0.06	रास्ता हेतु
8 मे से	0.03	रास्ता हेतु
778 मे से	0.06	रास्ता हेतु


कीता- 4रकबा 0.21 हैक्टर

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज कर खाता अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 20.02.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।


(मनस्वी नरेश)टर
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

क्रमांक/सरिश्ता/22025/97
दावा संख्या 101/2018 व अनवान भैरूलाल बनाम शंभुलाल वगै दावा 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को दी जाती है।

दिनांक :- 20.2.25

सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू